

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं० 15/19

तारीखरजु:- 27/3/19


उनवान:- सोमोत्या बनाम नेताराम वगै०


प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख०न० 5050/0.21, 5051/0.20, 5052/0.43, 5054/0.12, 5055/0.05, 5056/0.03, 5057/0.19, 5058/0.01, 5059/0.17, 5060/0.02, कुल कित्ता 11 कुल रकवा 1.59 है० ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी तिथि तक विवादित खसरा नम्बरान भूमि का वेस्ट-डेमेज न करने व आवासीय मकानात को क्षति नहीं पहुचाने के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25/04/2019 को पेश हो।


उप-जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

5/4/19
विकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुतान डार्ल ह
बुराकी पक्षर है। अतः पत्रावली गतामुसार
दिनांक 13/6/19 को पेश हो।


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
13.6.18	<p>प्रार्थी वकील उपर 31 अप्रील के रजि. नं. 10 की रजि. वापिस प्राप्त नहीं हुई है जिस रूल राबो में जारी नाहील गानी जाका उपस्थित नहीं होने से अके बिरुद हो चुकी है यह प्रार्थना भी दावा का ही रिफ्र है अतः उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीप कार्य की जाती है वास्तु कहस दिनांक 5.7.18 को पेश हो</p>
5.7.18	<p>प्रार्थी वकील उपर 1 बरस सुनी गयी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराने का गैरसाफल्य के अर्थ निवेदाज्ञा से याबज्द करने हेतु अंतरिम अर्थ निवेदाज्ञा करे ता दावा फैसला कन्फर्म कलेक कथन किया। प्रार्थी वकील की बरसवापस गकी पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसाफल्य के ता दावा फैसला याबज्द किये गये हेतु दिनांक 27.3.18 के जारी अंतरिम निवेदाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p>